कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक / /भू.प./49/10/नग्रानि उज्जैन, दिनांक

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
उज्जैन

विषय :— ग्राम पंथपिपलई सर्वे क्र0 199 मीन, 200 मीन, 202 मीन, 203 मीन, एवं कुल रकबा 0.579हेक्टर मे से 1967.04 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यक उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :— आपका पत्र कं. 3983 दिनांक 06/08/10 एवं आवेदक व्दारा प्रस्तुत जानकारी दिनांक 19.11.2010

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक व्दारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार ग्राम पंथपिपलई सर्वे क्र0 199 मीन, 200 मीन, 202 मीन, 203 मीन, कुल रकबा 0. 579हेक्टर मे से 1967.04 वर्गमीटर भूमि पर, वाणिज्यक विकास किये जाने में, निम्नलिखित निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है :—

1 विषयांकित भूमि के सामने स्थित सावेर रोड के मध्य से 30.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोडने के पश्चात मानचित्र मे दर्शाए अनुसार सीमान्त खुला क्षेत्र छोडना आवश्यक होगा ।

2 यह अनुज्ञा केवल वाणिज्यक उपयोग हेतु दी गई है इसे किसी भी प्रकार के उपविभाजन की अनुमति नहीं माना जावे ।

3 प्रस्तावित वाणिज्यक परिसर में पार्किग हेतु पर्याप्त सुरक्षित क्षेत्र रखना आवश्यक होगा ।

4 प्रस्तावित भूमि का भू—व्यपवर्तन म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (संशोधन अधिनियम क्र0 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत कराना होगा ।

5 भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत, भवन की उॅचाई 7.0 मीटर (जी+1) से अधिक मान्य नहीं होगा ।

6 म0प्र0 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियॉ 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत से प्राप्त करना होगी।

7 यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी । समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

8 भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा इस अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।

9 संलग्न अभिन्यास को भू–स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें ।

10 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

1 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन ।

2 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें ।

11 किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन होने पर यह अनापत्ति स्वमेव प्रभाव शून्य मानी जावेगी।

संलग्न :–एक अनुमोदित मानचित्र

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

पृष्ठा. क्र. 2039/भू.प./49/10/नग्रानि उज्जैन दिनांक 1/12/2010.

प्रतिलिपि :–

1 सरपंच, ग्राम पंचायत पंथपिपलई, तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2 श्रीमती लाडकुवरबाई बेवा बनेसिह एवं ईश्वरसिंह पिता करणसिंह निवासी ग्राम पंचायत पंथपिपलई, तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

3. वेबसाईट प्रति

संलग्न :–एक अनुमोदित मानचित्र

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

212Gen-5